न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), टोंक

(पीठासीन अधिकारीः मोहर सिंह मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 – (53/2013), 29/2017

प्रविष्टि दिनांक – 27.12.2017

निर्णय दिनांक – 24.12.2020

उनवान

1. ~~हीरा पुत्र मिसरया जाति कीर निवासी ग्राम मण्डावर, ढाणी मुख्तारनगर, तहसील व जिला टोंक~~– मृतक

1/1 नारायण पुत्र हीरा जाति कीर निवासी ग्राम मण्डावर, ढाणी मुख्तारनगर, तहसील व जिला टोंक

1/2 राजाराम पुत्र हीरा जाति कीर निवासी ग्राम मण्डावर, ढाणी मुख्तारनगर, तहसील व जिला टोंक

1/3 हरीराम पुत्र हीरा जाति कीर निवासी ग्राम मण्डावर, ढाणी मुख्तारनगर, तहसील व जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार टोंक

–प्रतिवादी

उपस्थित– 1. श्री पवनकुमार जैन –अभिभाषक वादीगण
2. पेरोकार सरकार –वकील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 24.12.2020

दावा बाबत घोषणा खातेदारी , दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण का सार इस प्रकार है कि पूर्व मे वादीगण द्वारा एक वाद न्यायालय हाजा मे बाबत खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसके निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा मा0 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय के परिणाम स्वरूप पत्रावली मा0 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 8.11.2017 की पालना मे पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देशो के साथ प्राप्त हुई है। उक्त निर्णय की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज की जाकर, विधिवत सुनवाई की गई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4.6.1968 को वादी को आराजी ख.न. 11/1 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 12/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक मे नियमानुसार आवंटन कर वादी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। जिसकी पालना मे वादी के पक्ष मे गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 631 उसी समय तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वादी आंवटन की दिनांक से आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही किया। वादी को दिया गया आवंटन विधि सम्मत है तथा राजकीय भूमि का विधिसम्मत आंवटन किया गया है। परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने संवत 2028 मे उक्त भूमि के हाल ख.न. 12 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व ख.न.35 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा के रूप मे बनाकर पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि को वादी की खातेदारी मे अंकित किया जाना चाहिए था। भू–प्रबन्ध

सहायक कलेक्टर
न्यायालय टोंक

धिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए उक्त भूमि को बिना किसी वैध आदेश व अधिकार के सिवायचक अंकित कर दिया। साबिक ख.न. 11/1 व ख.न. 12/1 के मिन बरो के सेटलमेन्ट संवत 2028 मे ख.न. 12 व ख.न. 35 बनाये गये जिनको बदलकर वर्तमान हाल ख.न. 11/3511 राजस्व कर्मचारियो द्वारा अंकित कर दिया गया । ख.न. 11/3511 को भी बदलकर 3590/11 तथा ख.न. 3602/11 अंकित कर दिया गया। वादी को उक्त दोनो खसरा नंबरो मे से आंवटन के आधार पर 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी मे अंकित की जावे। प्रतिवादीगण उक्त वर्गीकरण के आधार पर वादी को बेदखल करने पर अमादा है जबकि उक्त भूमि वादी को आवंटित शुदा है। अतः प्रतिवादी को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है कि वादी के हक या आवंटन मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें। वादी को हाल ख.न. 3590/11 व 3602/11 वाके ग्राम मण्डावर मे से 6 बीघा 7 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी की मृत्यु हो जाने के कारण अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। वादी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

इसके पश्चात वाद पत्र रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र की पुष्टि मे पी.डब्ल्यू.1–नारायण पुत्र हीरा कीर, पी.डब्ल्यू.–2 राजाराम पुत्र हीरा कीर, पी.डब्ल्यू.3–मुन्नालाल पुत्र जगन्नाथ जाति कीर, पी. डब्ल्यू.–4 भवानीराम पुत्र डालू जाति कीर के बयान करवाये गये जो लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

पी.डब्ल्यू.–1 के बयानो की जिरह मे अंकित किया कि उसे पता नही दावे मे किस ख.न. का अंकन किया गया है वह अनपढ है। शपथ पत्र मे ख.न. 3590/11 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा का अंकन है जो मेरे पिताजी को आवंटन हुई थी इस जमीन पर मेरे पिताजी का कब्जा है इसके अलावा अन्य जमीन पर कब्जा नही है। इसके अलावा मेरे पिताजी के खाते मे कोई जमीन नही है। मिलान क्षेत्रफल के बारे मे मैं नही समझता मुझे मेरी जमीन खातेदारी मे चाहिए । आंवटन के समय मेरे पिताजी को कब्जा सुपुर्द किया गया था उस समय से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। ये भूमि सिवायचक है या नही मुझे पता नही है।

पी.डब्ल्यू.–2 के बयानो की जिरह मे अंकित किया कि यह जमीन मेरे पिताजी को आवंटित हुई थीं तथा जमीन पर मेरा व मेरे पिताजी का कब्जा हैं। इस अलावा मेरे पिताजी की खातेदारी मे कोई जमीन नही है। मुझे पता नही दावे मे किस ख.न. का अंकन किया गया है में अनपढ हूँ। शपथ पत्र मे ख.न. 3590/11 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा का अंकन है जो मेरे पिताजी को आवंटन हुई थी इस जमीन पर मेरे पिताजी का कब्जा है मिलान क्षेत्रफल के बारे मे मैं नही समझता। मुझे मेरी जमीन खातेदारी मे चाहिए । आंवटन के समय मेरे पिताजी को कब्जा सुपुर्द किया गया था उस समय से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। 3590/11 वर्तमान में सिवायचक भूमि है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे प्रार्थनापत्र बाबत जमीन दिये जाने, आंवटन सुपुर्दगीनामा, नामान्तरकरण सं0 631, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2028–47, मिलान क्षेत्रफल सवंत 2047,मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–2047,जमाबंदी संवत 2032, खसरा परिवर्तनशील 2047–2050, 2034, 2053, 2055, नकल खसरा भू–प्रबन्ध संवत 2027,2051, 2033, 2058, जमाबंदी संवत 2071–74, मृत्यु प्रमाण पत्र हीरालाल पुत्र मिश्रीलाल, मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–2047, जांच कागजी, नक्शा ट्रेस संवत 2028, नक्शा ट्रेस संवत 2028, जमाबंदी संवत 2018–2021, खसरा , नक्शा ट्रेस हाल,नजरी नक्शा हाल, जमाबंदी संवत 2028–2047, खसरा परिवर्तन शील संवत 2012–15, रसीद सं0 105–117 तक, , आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार टोंक द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वाद बिन्दु संख्या 01 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 एवं 03 आंशिक स्वीकार है। बिन्दु सं. 04 स्वीकार योग्य नही है। बिन्दु सं. 05 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। बिन्दु सं. 6 स्वीकार योग्य नही है। विशेष आपत्तियॉ इस प्रकार है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी को खं.न. 11/1 में रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एवं खं.न. 12/1 में रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा इस प्रकार

सहायक कलेक्टर
मुख्यालय टोंक

कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि जरिये आवंटन आदेश आवंटित हुई थी। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 02.05.1969 से गैर खातेदारी अंकित कर दी गई थी। किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आंवटन शुदा भूमि को गैर खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दी गई। जब से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान रिकार्ड पी-14 के अनुसार एवं सदी द्वारा प्रस्तुत पी- 14 के अनुसार वादीगण के पिता को आवंटित भूमि पर वादीगण का कब्जा है।

पेरोकार सरकार से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई जिसके अनुसार वाद ग्रस्त भूमि दिनांक 04.06.1968 को हीरा पुत्र मिसरया को आवंटित की गयी थी। उसका सुपुर्दगीनामा जारी कर कब्जा सम्भला दिया गया था। यह आवंटन इसलिए किया गया था कि वह भूमिहीन काश्तकार था। आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 631 भरकर तस्दीक हो चुका था। नामान्तरकरण स्वीकार होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का काम राजस्व विभाग का है। उक्त आवंटन आदेश आज भी यथावत है। मेने नामान्तरकरण संख्या 631 को पढ लिया है जिसमें गिरदावर ने आवंटी का कब्जा होना लिखा है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर आंवटी का कब्जा होना स्वीकार है। यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या 631 खारिज नही किया गया है। तहसील टोंक में संवत 2025–27 तक सेटलमेन्ट ऑपेरशन चला था जो संवत 2028 में लागू हो गया था। उक्त आंवटन के नामान्तरकरण का अमल इसलिए नही हो सका की उस समय सेटलमेन्ट की कार्यवाही चल रही थी। सेटलमेन्ट के समय आंवटन आदेश अस्तित्व में था। यह सही है कि संवत 2032 से आदिनांक तक के कब्जे के सबूत पत्रावली में मौजूद है जो रिकार्ड मे दर्ज है। यह सही है कि वादीगण का वर्तमान में वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा है।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमे अंकितानुसार उक्त प्रकरण मे वादी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर वादीगण बनाया गया। दिनांक 4.6.1968 को ग्राम मण्डावर के ख.न. 11/1 व 12/1 मे कुल 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया था तब से ही वादी एवं उसके बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण अनपढ है इसलिए आवंटन का नामान्तरकरण का अमल दरामद नही किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के पक्ष मे मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। वादीगण को हाल ख.न. 3590/11 मे से 6 बीघा 2 बिस्वा व ख.न. 3602/11 मे 5 बिस्वा कुल 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण मे अधिवक्ता वादीगण द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की गई।

RRD-14-8-2019, Page no 513-517
RBJ(17) 2010 Page no 462
RBJ(16) 2009 Page no 578
RBJ(20) 2013 Page no 46
RBJ(22) 2015 Page no 390

बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के गहन अवलोकन से स्पष्ट है कि यह तथ्य साबित है कि वादीगण के पिता को दिनांक 4.6.1968 को आवंटन किया गया था। आंवटन आदेश मे ख.न. 11 व 12 का स्पष्ट उल्लेख हैं। उक्त आवंटन आदेश की पालना मे नामान्तरकरण भी भरा जाकर, तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। चूंकि वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वे अनपढ है अतः यह स्वाभाविक है कि वादीगण को राजस्व अभिलेखो में अंकन की प्रकिया का ज्ञान नही होगां। उनके द्वारा मात्र कब्जा सुपर्दुगी को ही अंतिम आदेश मान लिया गया होगा। जबकि यह राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियो का कर्तव्य था कि उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद राजस्व लेखो मे किया जाकर वादीगण के नाम गैर खातेदारी अंकित की जाती। राजस्व कर्मियो की लापरवाही का हर्जाना आवंटी क्यो भुगते। साथ ही जब सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त विवादित भूमि को पुनः सिवायचक अंकित किया गया तब वादीगण अर्थात आवंटी को नोटिस क्यों नही दिया गया। सैटलमेन्ट की प्रकिया

सहायक कलेक्टर
न्यायालय टोंक

भूमि की किस्म परिवर्तन के समय प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये है। मिलान क्षेत्रफल से विवादित साबिक खसरा नंबरो की पुष्टि होती है। खसरा परिवर्तन मे संवत 2032, 2033, 2034, 2051, 2053, 2058 में वादीगण के पिता का कब्जा अंकित । यहाँ तक कि भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा संवत 2027 मे भी कॉलम सं0 26 मे हीरा वल्द ...या कीर अंकित है। इस प्रकार वादीगण के लगातार अंकन को नजर अंदाज नही किया सकता है। सैटलमेन्ट द्वारा आवंटन आदेश को किस आदेश से निरस्त किया गया, यह साबित करने मे विपक्ष असफल रहा हैं। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में उक्त आवंटी आवंटन किया जाना एवं कब्जा दिया जाना स्वीकार किया है साथ ही उक्त आंवटन ओदश नामान्तरण को भरा जाकर स्वीकार किया गया है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार, नामान्तकरण एक अंतरण दस्तावेज है जिसके निर्णय का लेखांकन राजस्व लेखो मे किया जाना पटवारी या राजस्व कर्मी के कर्तव्यों का हिस्सा है। पैरोकार सरकार के कथन के संबध मे वादीगण ने मौखिक रूप से कथन किया कि पटवारी द्वारा ली जा रही पैनल्टी को उनके द्वारा लगान समझा गया तथा खसरा परिवर्तन शील मे अंकन को जमाबंदी मे अंकन समझा गया। चूंकि वादीगण अनपढ है तो इस प्रकार की त्रुटि की एवं राजस्व रिकार्ड के प्रति अनभिज्ञता की पूर्ण संभावना है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध सभी श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजो से वादीगण को हुए आवंटन की पुष्टि होती है। आवंटन की कार्यवाही मे भी उक्त खसरा नंबरो के संबध मे संबंधित काश्तकारो को सूचित करने हेतु अंकन किया गया है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि को किस आदेश से सिवायचक अंकित किया गया है, इसका कोई उल्लेख दस्तावेजों में नहीं है और ना ही पेरोकार सरकार द्वारा इस संबध में कोई दस्तावेज या सबूत पेश किया गया है। भू–प्रबन्ध का उक्त कृत्य उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। सैटलमेन्ट को बिना विधिवत आदेश के भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक अंकित करने का अधिकार नही है। परिवर्तन के आदेश के संबंध में पैरोकार सरकार द्वारा इस संबध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है अपितु वादीगण को हुए आवंटन को स्वीकार किया है। जमाबंदी संवत 2071–74 के अंकन के अनुसार विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे भी नही है और ना ही अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित प्रतीत होती है। पैरोकार सरकार द्वारा किये गये कथन कि 52 वर्षो बाद वाद लाया गया है के संबध मे प्रकरण मे प्रस्तुत नजीर RBJ(20) 2013 Page no 46 पूर्ण रूप से चस्पा होती है तथा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन के संबध मे RBJ(17) 2010 Page no 462 तथा RRD-14-8-2019, Page no 513-517 पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं। RBJ(16) 2009 Page no 578 , RBJ(22) 2015 Page no 390 आंशिक रूप से चस्पा होती हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश का निर्धारित समयावधि में अमल जमाबंदी मे नही होना, गैर खातेदारी की भूमि का अंकन सिवायचक के रूप मे हो जाना , राजस्व कर्मियो की लापरवाही एवं त्रुटि का द्योतक प्रतीत होता हैं, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

आदेश

फलस्वरूप वाद, वादीगण, वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर, वादीगण को ग्राम मण्डावर, तहसील व जिला टोंक की भूमि ख.न. 3590/11 मे से 6 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण व ख.न. 3602/11 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि अर्थात कुल 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर, पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर , नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक 24.12.2020** को लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24.12.2020

(मोहर सिंह मीना)

सहायक कलक्टर